न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/132/2013

उनवान

1. शंभू सिंह पुत्र शोभाग सिंह मारू निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र नाना धाकड निवासी गोवटा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 163/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री राकेश चौहान,, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.12.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोवटा तहसील माण्डलगढ की सीमा में स्थित आराजी नम्बर 297 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा मौजूदा राजस्व रेकार्ड में पान देवी बेवा भॅवर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लाल महाजन निवासी माण्डलगढ 1/2 व कन्हैया लाल पुत्र नाना धाकड निवासी गोवटा 1/2 अंकित होकर उक्त आराजियात संयुक्त खाते की होकर अविभाजित है। खातेदार पानदेवी पत्नी भॅवर लाल महाजन का देहान्त दिनांक 28.5.1996 को हो गय । पानदेवी ने अपनी जीवित अवस्था में मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयत नामा दिनांक 30.5.1990 को तरतीब दिलाया । पानदेवी की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजियात के हिस्सेनुसार कब्जा मुझ वादी का आज तक निरन्तर चला आ रहा है। पान देवी की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन जरिये वसीयत नामा के आधार से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी स्वतः ही उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार हो जाता है किन्तु पानदेवी की मृत्यु के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि पानदेवी के नाम चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा मुझ वादी के नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाये। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खाते की होने से अविभाजित होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ने मुझ वादी को अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित रखने की नियत से दिनांक 25.5.2008 को भूमि से जोतने से इंकार कर दिया तथा लडाई झगडा करने पर आमादा है। उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पृथक बंटवाडा कराया जाकर ग्राम गोवटा स्थित आराजी नम्बर 297 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे। भूमि में जबरदस्ती दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी पारित की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण व सही विवेचन नहीं कर अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया था कि मौजा गोवटा तहसील माण्डलगढ की सीमा में स्थित आराजी नम्बर 297 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा मौजूदा राजस्व रेकार्ड में पान देवी बेवा भॅवर लाल महाजन निवासी माण्डलगढ 1/2 व कन्हैया लाल पुत्र नाना धाकड निवासी गोवटा 1/2 अंकित होकर उक्त आराजियात संयुक्त खाते की होकर अविभाजित है। खातेदार पानदेवी पत्नी भॅवर लाल महाजन का देहान्त दिनांक 28.5.1996 को हो गय । पानदेवी ने अपनी जीवित अवस्था में मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयत नामा दिनांक 30.5.1990 को तरतीब दिलाया । पानदेवी की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजियात के हिस्सेनुसार कब्जा मुझ वादी का आज तक निरन्तर चला आ रहा है। पान देवी की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन जरिये वसीयत नामा के आधार से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी स्वतः ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार हो जाता है किन्तु पानदेवी की मृत्यु के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि पानदेवी के नाम चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा मुझ वादी के नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाये एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पृथक बंटवाडा कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब व जिरह में उन्होनें स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा वसीयतनामा जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह संदिग्ध होकर पान देवी की मृत्यु के पश्चात तैयार किया गया है तथा यह कथन किया कि वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है। इस कारण वसीयत के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तनकियात कायम की गई एवं जिसमें वादी के हिस्से की तनकी नम्बर एक को वादी ने गवाह की साक्ष्य से साबित कराई है। जिसमें गवाह तेजमल ने पान देवी के कहने से वसीयतनामें में साख देने का कथन किया है। जब वसीयतनामा लिखा गया था उस समय पान देवी एवं कालु सिंह राजपूत व मैं स्वयं मौजूद था। और पान देवी के कहने पर कालु सिंह राजपुत ने भी हस्ताक्षर किये थे और मैंने भी हस्ताक्षर किये । इस प्रकार बयान एवं जिरह से स्पष्ट है कि वसीयतनामा सही होकर वैध है। गवाह ने वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा पान देवी का होना व शेष 1/2 हिस्सा कन्हैया लाल धाकड का होने का कथन किया था। वसीयतनामा गवाह ने अपने सामनें लिखे जाने का कथन किया था। इस प्रकार वसीयतनामा सही होकर वैध है। वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का भी अधिकारी है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उसके जिम्मे की तनकी नम्बर को साबित कराने हेतु किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उसके बावजूद वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

7. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि विधि की यह मान्यता है कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण के रूप में निष्पादित किया जाता है तो उसमे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेने की कतई आवश्यकता नहीं है और उसी दस्तावेज के आधार पर मालिक काबिज रहता है। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट वादी वादग्रस्त आराजियात पर बिना रोक–टोक निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध जबानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण व सही विवेचन नहीं कर केवल मात्र वसीयतनामा किसके द्वारा लिखा गया है व गवाह के पिताजी का नाम अंकित न होना मानकर तथा वसीयतनामा ओथ कमिश्नर द्वारा हस्ताक्षरित होकर रजिस्टर क्रमांक अंकित न होनामानकर अपीलाण्ट/वादी का वाद साबित नहीं मानने में भारी भूल की है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि वसीयतनामा पंजीकृत नही है, जबकि विधि अनुसार वसीयतनामा पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पृथक से बंटवाडा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायिक उद्धरण आरबी जे (5) पेज 438 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं है।

9. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलाण्ट/वादी ने निवेदन किया कि मौजा गोवटा तहसील माण्डलगढ की सीमा में स्थित आराजी नम्बर 297 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा मौजूदा राजस्व रेकार्ड में पान देवी बेवा भॅवर लाल महाजन निवासी माण्डलगढ 1/2 व कन्हैया लाल पुत्र नाना धाकड निवासी गोवटा 1/2 अंकित होकर उक्त आराजियात संयुक्त खाते की होकर अविभाजित है तथा खातेदार पानदेवी पत्नी भॅवर लाल महाजन का देहान्त दिनांक 28.5.1996 को हो गय । पानदेवी ने अपनी जीवित अवस्था में मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयत नामा दिनांक 30.5.1990 को तरतीब दिलाया । पानदेवी की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजियात के हिस्सेनुसार कब्जा मुझ वादी का आज तक निरन्तर चला आ रहा है। पान देवी की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन जरिये वसीयत नामा के आधार से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि वसीयतनामा में गवाह तेजमल के हस्ताक्षर है एवं उसके बयान पी डब्ल्यू 2 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में कराये है। जिसने वसीयतनामा पानदेवी के कहने से निष्पादित होना एवं उसक कहने से स्वयं तेजमल ने एवं द्वितीय गवाह कालू सिंह द्वारा हस्ताक्षर करने का कथन किया है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकन करते हुए कि वसीयतनामा किसके द्वारा लिखा गया है व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गवाह के पिताजी का नाम अंकित न होना मानकर तथा वसीयतनामा ओथ कमिश्नर द्वारा हस्ताक्षरित होकर रजिस्टर क्रमांक अंकित न होनामानकर अपीलाण्ट/वादी का वाद साबित नहीं मानते हुए खारिज किया है।

11. अपीलाथी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गवाह के रूप में तेजमल के बयान पंजिबद्ध कराये है जबकि द्वितीय गवाह कालू सिह के बयान लेखबद्ध नहीं कराये हैं एवं उक्त वसीयतनामा का लेखक कौन था यह अंकित नहीं किया है एवं न हीं वसीयतनामा लिखने वाले के बयान अधीनस्थ न्यायालय में लेखबद्ध कराये हैं। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि पानदेवी के कहने से वसीयतनामा लिखा गया था। अपीलार्थी/वादी को चाहिये था कि वसीयतनामा लिखने वाले लेखक को अधीनस्थ न्यायालय में गवाह के रूप में पेशकर बयान लेखबद्ध कराता । अपीलार्थी ने स्वयं के पक्ष में वसीयतनामा लिखे जाने का कथन किया है परन्तु मृतका/खातेदार पान देवी के द्वितीय श्रेणी के और कितने वारिसान है उनको प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया है जो कि जाति से धाकड होकर वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी में उसके हक हिस्से से ज्यादा अधिकार प्राप्त भी नहीं हो सकते हैं परन्तु यदि पान देवी के द्वितीय श्रेणी कोई वारिसान हों तो उन्हें प्रकरण में अवश्य पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया है उसमें अनरजिस्टर्ड एवं साधारण पेपर पर लिखतम से भी वादी को अधिकार दिये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। परन्तु अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामें में अंकित दोनों गवाहान के बयान नहीं कराये गये हैं मात्र एक गवाह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तेजमल के बयान लेखबद्ध कराये गये हैं। जबकि वसीयतनामा के लेखक के बयान पंजिबद्ध नहीं कराये गये हैं एवं खातेदार पानदेवी के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रकरण में यह भी आवश्यक है कि मात्र सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को ही पक्षकार न बनाया जाकर समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार बनाकर सुना जाये साथ ही ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर वसीयतनामें के गवाहान एवं लेखक के बयान लिये जावे एवं आवश्यक पक्षकार को प्रकरण में संयोजित कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 27.5.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर वसीयतनामें के गवाहान एवं लेखक के बयान लिये जावे एवं आवश्यक पक्षकार को प्रकरण में संयोजित कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.1.19 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

20/12/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा